

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-108/2025

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० निशा कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), सदर अस्पताल, सीतामढ़ी सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-05.12.2024 से 02.06.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम सतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध- 01-108/2025 1399 (17) पटना, दिनांक :-31/12/2025

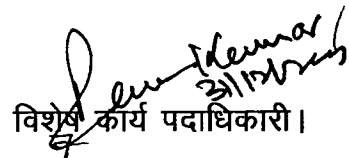
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, सीतामढ़ी/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० निशा कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), सदर अस्पताल, सीतामढ़ी सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।